यूनिटी मार्च | भाजपा ग्रामीण द्वारा लौह पुरुष की 150वीं जयंती पर यूनिटी मार्च, उमड़ा जनसैलाब

सरदार पटेल के नेतृत्व के कारण ही आज भारत एक अखंड राष्ट्र के रूप में स्थापित

नवभारत,सिहोरा (जबलपुर)। लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी जबलपुर ग्रामीण द्वारा आयोजित सरदार 150 यूनिटी मार्च का सिहोरा नगर में भव्य आयोजन हुआ। यह यात्रा अरुणाभ घोष स्टेडियम से प्रारंभ होकर मंडी प्रांगण, खितोला में संपन्न हुई। यात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, स्कूली विद्यार्थियों, एवं स्थानीय नागरिकों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। नगर में जगह-जगह कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया, वहीं एक भारत, श्रेष्ठ भारत के नारों से पूरा नगर गूंज उठा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जबलपुर सांसद आशीष दुबे, सिहोरा विधायक सुशील इंदु तिवारी, तथा भाजपा जबलपुर ग्रामीण के जिला अध्यक्ष राजकुमार पटेल उपस्थित रहे।

सांसद आशीष दुबे ने कहा कि सरदार पटेल जी के नेतृत्व और दृढ़ संकल्प के कारण ही आज भारत एक अखंड राष्ट्र के रूप में स्थापित है। विधायक सुशील इंदु तिवारी ने इसे एकता, संगठन और राष्ट्रप्रेम का प्रतीक यात्रा बताया। वहीं जिला अध्यक्ष राजकुमार पटेल ने कार्यकर्ताओं से सरदार पटेल के आदर्शों पर चलकर संगठन और समाज को सशक्त बनाने का आह्वान किया। पूरे आयोजन का संचालन एवं समन्वय कार्यक्रम प्रभारी रूपेश पटेल (जिला महामंत्री, भाजपा जबलपुर ग्रामीण) के नेतृत्व में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में राजेश दाहिया, अनुपम सराफ, जिला पंचायत अध्यक्ष आशा गोटिया, जिला उपाध्यक्ष अल्का गर्ग, ओम दुबे, अंकित तिवारी, अंचल साहू, पंकज दुबे, आशीष पटेल, अंकुर जैन सहित समस्त मंडल अध्यक्ष एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

हाईकोर्ट ने जारी किया कलेक्टर छतरपुर को अवमानना नोटिस

जबलपुर। हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के बावजूद भी पट्टे में मिली जमीन शासकीय अभिलेख में महिला के नाम पर दर्ज नही की गयी। जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गयी थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस डी डी बसंल की एकलपीठ ने छतरपुर कलेक्टर को अवमानना नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। लवकुश नगर छतरपुर निवासी देशराज ठाकुर की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि उसकी मॉ जमुना बाई को 1.600 हेक्टेयर कृषि भूमि का पट्टा भूमि स्वामी अधिकार के तहत दिया गया था। तभी से याचिकाकर्ता तथा उसकी मॉ उक्त भूमि में काबिज थे और शासकीय अभिलेख में उसकी मॉ का नाम दर्ज था। इसके बाद साल 2010 में कम्प्यूटर अभिलेख में खसरा का संधारण करते समय जमीन उसकी मॉ के स्थान पर शासकीय भूमि में दर्ज कर दी गयी। खसरे में नाम दर्ज किये जाने के संबंध में उसने तहसीलदार के समक्ष आवेदन किया था। तहसीलदार ने सितम्बर 2018 में शासकीय मद में उसकी मॉ का नाम दर्ज करने के आदेश जारी किये थे।

पत्रकार पर हमला करने वाले चार आरोपी गए जेल

▸ **प्रॉपर्टी डीलर के इशारे पर हुआ था हमला**

मझौली, नवभारत। मझौली थाना अंतर्गत पुराना जनपद हनुमान मंदिर के पीछे 24 अक्टूबर को पत्रकार पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिन्हें न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। पूछताछ में यह बात सामने आई कि प्रॉपर्टी डीलर के इशारे पर पत्रकार पर हमला किया गया था।

पुलिस के मुताबिक पत्रकार सुनील बलराम कुमार राय पिता स्व. मूलचंद्र राय 50 वर्ष निवासी वार्ड नं. 08 मझौली पर 24 अक्टूबर की शाम करीब 4:20 बजे तहसील कार्यालय मझौली से वापस लौटते समय पुराना जनपद हनुमान मंदिर के पीछे तीन मोटर साईकिल में पहुंचे आधा दर्जन बदमाशों ने चाकू से वार कर जानलेवा हमला किया था। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ पतासाजी शुरू की। सीसीटीव्ही कैमरों के फुटेज खंगाले। जिसके आधार पर पुलिस ने पवन चक्रवर्ती पिता संतोष चक्रवर्ती 26 वर्ष, राहुल चक्रवर्ती उर्फ मण्डला पिता महेश चक्रवर्ती 31 वर्ष, शुभम पारस उर्फ छोटू पारस पिता राजकुमार पारस तीनों निवासी कुम्हार मोहल्ला गोरखपुर, सागर विश्वकर्मा उर्फ सागर नाटी पिता राजू विश्वकर्मा 20 वर्ष निवासी लार्डगंज जबलपुर से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पर बताया गया कि पवन चक्रवर्ती के साले इंगा चक्रवर्ती प्रापर्टी बेचने का काम करता है। इंगा ने हमले की साजिश रची थी। जिसके बाद हमला किया गया था। प्रकरण में दो आरोपी अब भी फरार है जिनकी तलाश जारी है। पकड़े गए आरोपियों से वारदात में प्रयुक्त दो बाइकें, चाकुओं को जब्त किया है।

फील्ड इंजीनियर्स की समीक्षा बैठक आयोजित

जबलपुर, नवभारत। मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनीके पूर्वी क्षेत्र के फील्ड इंजीनियर्स की समीक्षा बैठक कंपनी मुख्यालय जबलपुर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रबंध संचालक सुनील तिवारी ने की। उन्होंने अभियंताओं को शून्य दुर्घटना लक्ष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता बनाते हुए कार्य करने के निर्देश दिए। प्रबंध संचालक ने कहा कि कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य है। किसी भी तरह की लापरवाही निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी फील्ड अभियंता अपने कार्यक्षेत्र में छोटे.छोटे सुधार करें और कंपनी की प्रगति में योगदान दें। उन्होंने अभियंताओं को एआई की दिशा में खुद को तैयार करने की सलाह दी। प्रोफेशनल नेटवर्किंग के माध्यम से सतत ज्ञानवृद्धि की जरूरत बताई। उन्होंने सुरक्षा उपकरणों की समीक्षा हेतु एक विशेष समिति गठित करने के निर्देश दिए गए। ट्रांसमिशन लाइनों में कम ग्राउंड क्लीयरेंस की सूचना समय पर प्रशासन को देने और जनता को सतर्क करने के निर्देश दिए गए।

नई पीढ़ी संभाले कमान

एमडी ने युवा अभियंताओं से कहा पुरानी पीढ़ी शीघ्र ही रिटायर होने वाली हैए अत: नई पीढ़ी कंपनी की ओनरशिप लें और भविष्य की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करें। आगामी दो माह कंपनी के लिए चुनौतीपूर्ण समय बताए गए। बढ़ती बिजली मांग को देखते हुए ट्रांसमिशन नेटवर्क की स्थिरता और विश्वसनीयता बनाए रखने के निर्देश दिए।

जनजातीय गौरव दिवस तैयारी हेतु निकाली रैली

नवभारत,बेलखाडू। ग्राम पंचायत मोहास में आगामी 15 नवंबर को जबलपुर में होने वाले राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर एक रैली का आयोजन किया गया। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150 वी जयंती के समापन अवसर पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में जबलपुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। कार्यक्रम से संबंधित रैली दौरान जनपद पंचायत पनागर की कार्य पालन अधिकारी आयुषी उपाध्याय, सरपंच गौरी शंकर पटेल,सचिव नंद किशोर पटेल, रामजी पटेल, सहायक सुबोध शर्मा, अन्नी लाल सेन, इंजीनियर कुररिया , पवन चढ़ार, दीनदयाल प्रजापति, आकाश बर्मन सहित अनेकों ग्रामवासी उपस्थित रहे।

इंटक छोड़कर कामगार यूनियन की सदस्यता ग्रहण की

जबलपुर , नवभारत। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ से संबद्ध कामगार यूनियन आयुध निर्माणी खमरिया द्वारा गीतायन प्रेक्षागृह में आयोजित सम्मान समारोह में आईएनडीआईडब्ल्यूएफ के अखिल भारतीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री अमित चौबे सहित खमरिया सुरक्षा कर्मचारी यूनियन (इंटक) के 200 कार्यकर्ताओं ने इंटक छोड़ कर कामगार यूनियन की सदस्यता ग्रहण की । भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मारुति पवार ने इन सभी नवागंतुक कार्यकर्ताओं को भगवा ध्वज एवं माला पहना कर उन्हें सदस्यता दिलाई । इंटक छोड़ कर भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ की सदस्यता ग्रहण करते हुए अमित चौबे ने कहा कि वो इंटक के कुछ नेताओं के पक्षपात पूर्ण रवैया और मजदूर विरोधी नीतियों से क्षुब्ध थे । बीपीएमएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मारुति पवार ने भरोसा दिलाया कि हमारा ध्येय वाक्य ही राष्ट्र हित, उद्योग हित, मजदूर हित है । हम मजदूरों के हितों के लिए हमेशा संघर्षशील रहे है । उन्होंने निगमीकरण की घोषणा के साथ बदले परिदृश्य पर भी प्रकाश डाला । इस अवसर पररूपेश पाठक ने कहा कि बीपीएमएस की टीम में शामिल कार्यकर्ताओं को श्रमिकों की लड़ाई के लिए जिम्मेदारी दी जाएगी । इस अवसर पर यूनियन के अध्यक्ष राजेंद्र चारडिया, महामंत्री प्रेम लाल सेन ने भी उद्बोधन दिया । कार्यक्रम का संचालन अरुण मिश्रा एवं रंजीत राय द्वारा किया गया ।

15 को बिब एक्सपो, 16 को सूर्या हाफ मैराथन

नवभारत, जबलपुर। मुख्यालय मध्य भारत एरिया द्वारा आयोजित सूर्या हाफ मैराथन 2025 का आयोजन 16 नवम्बर (रविवार) को प्रात: 5:30 बजे से 9 बजे तक जबलपुर कैंट के कोबरा ग्राउंड से होगा। इस वर्ष लगभग 10,000 धावक 21 किमी, 10 किमी, 5 किमी और 3 किमी वर्गों में भाग लेंगे। बिब एक्सपो में सभी प्रतिभागियों को बिब, टी-शर्ट, टाइमिंग चिप व भागीदारी किट 15 नवम्बर को रिज रोड स्थित डीएसओआई में आयोजित बिब एक्सपो में वितरित की जाएगी।

वाहनों का आवागमन पूर्णत : प्रतिबंधित रहेगा

मैराथन मार्ग पर सुबह 5.30 से 9.00 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। रूट समन्वय चौक, सृजन चौक, तोप तिराहा, योद्धा चौक, कटंगा क्रासिंग, बंदरिया तिराहा, एमपीईबी कार्यालय, तरंग ऑडिटोरियम, रामपुर चौक, द ग्रेनेडियर द्वार, लद्दाख गेट, मिलिट्री अस्पताल व देशमुख द्वार से कोबरा ग्राउंड तक रहेगा। इसके अलावा डीएसओआई मैदान में मीडिया/वीआईपी एवं कोबरा मैदान के पीछे एनक्सी बिल्डिंग में आम नागरिक व प्रतिभागियों के लिए पार्किंग व्यवस्था रहेगी। मंडला व निवास रोड की बसें शहर में प्रवेश न कर बायपास मार्ग से संचालित होंगी। प्रशासन ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा की योजना पहले से बनाएं, वैकल्पिक मार्ग अपनाएं और धावकों का उत्साहवर्धन करें।

पश्चिम मध्य रेल

वाणिज्य विभाग

मंडल रेल प्रबंधक (वाणिज्य), पश्चिम मध्य रेल जबलपुर, भारत संघ के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से निम्नलिखित हेतु निर्धारित ई-बोली आमंत्रित करता है। **Category :** पार्किंग, **Catalogue No. :** JBP-C-Par-25-14, **Lot No. :** PARKING-JBP-MML-MX-68-25-2 (Parking-Mixed), **Assets Details :** मदनमहल स्टेशन पर दो पहिया और चार पहिया वाहनों के लिए पार्किंग स्थान केवल तीन वर्षो के लिए, **Auction Start :** 26.11.2025 12:00 hrs., **Auction End :** 26.11.2025 12:30 hrs., **Lot No. :** PARKING-JBP-PHA-MX-60-25-3 (Parking-Mixed), **Assets Details :** पथरिया स्टेशन पर दो पहिया और चार पहिया वाहनों के लिए पार्किंग स्थल केवल तीन वर्षो के लिए, **Auction Start :** 26.11.2025 12:00 hrs., **Auction End :** 26.11.2025 12:40 hrs., संभावित बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे IREPS वेवसाइट (www.ireps.gov.in) पर E-Auction Leasing मॉड्यूल देखें। लॉट-वार विवरण उपर्युक्त कैटलॉग के तहत उपलब्ध हैं। ई-बोली सूचना मंडल रेल प्रबंधक (वाणिज्य). पश्चिम मध्य रेल जबलपुर के नोटिस बोर्ड पर भी उपलब्ध है।

(हस्ता)
कृते मंडल रेल प्रबंधक (वाणिज्य),
पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर

स्वच्छ भारत अभियान
एक कदम स्वच्छता की ओर

नाम परिवर्तन सूचना

मैं विकास अशोक मिश्रा पिता अशोक कुमार मिश्रा निवासी म.नं. 501-बी, आरबीव्ही पोकेक्ट ए, रैली सौरभ ऑफिसर कॉलोनी, जबलपुर (म.प्र.) 482001 कथन करता हूँ कि मेरे पासपोर्ट नं. 44176126 मैं मेरा नाम विकास मिश्रा पिता अशोक कुमार मिश्रा लिखा है जिसे मैंने बदलकर विकास अशोक मिश्रा पिता अशोक कुमार मिश्रा कर लिया है। अत: मुझे विकास अशोक मिश्रा पिता अशोक कुमार मिश्रा नाम से जाना, पहचाना व लिखा जायें।

दिनांक- 13/11/2025, स्थान- जबलपुर
पूर्व नाम – विकास मिश्रा पिता अशोक कुमार मिश्रा **परिवर्तित व वर्तमान नाम**– विकास अशोक मिश्रा पिता अशोक कुमार मिश्रा।

छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति, भारत वानिकी एवं कृषि (सीजीसर्ट)

रा.व.अनु. एवं प्रशि.सं. परिसर, विधानसभा के पास,
बलौदा बाजार रोड जीरो पाइंट, रायपुर छ.ग.-493111
दूरभाष : 0771-2283249
वेबसाइट : www.cgcert.com, ई-मेल : cgcert@gmail.com

पत्र क्रमांक/सीजीसर्ट/164/03 — रायपुर, दिनांक 12/11/2025

प्रबंधन, निरीक्षण, मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण परियोजना कार्य हेतु अनुबंध अंतर्गत विज्ञापन की सूचना

छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति भारत वानिकी एवं कृषि (सीजीसर्ट) एक जैविक प्रमाणीकरण संस्था है, जो राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एन.पी.ओ.पी.) अंतर्गत राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एन.ए.बी.) नई दिल्ली से प्रत्यायित है. संस्था में प्रबंधन, निरीक्षण, मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण परियोजना कार्य हेतु अनुबंध अंतर्गत मैनेजर, फील्ड इंस्पेक्टर,, सहायक मूल्यांकनकर्ता, डिप्टी फील्ड इंस्पेक्टर, डाटा एंट्री ऑपरेटर तथा सहायक ग्रेड-3 के पदों पर आगामी 06 माह हेतु अनुबंध आधारित प्रमाणीकरण परियोजनाओं में आवश्यकतानुसार कार्यों के संपादन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया गया है. इच्छुक योग्य अभ्यर्थी संस्था की वेबसाइट www.cgcert.com का अवलोकन कर निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 26/11/2025 को सायं 5.00 बजे तक आवेदन कर सकते हैं.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति भारत
वानिकी एवं कृषि (सीजीसर्ट) रायपुर, छत्तीसगढ़

45906/4

स्वच्छता अभियान में एनएसएस स्वयंसेविकाओं की सक्रिय भागीदारी

नवभारत, जबलपुर। माता गुजरी महिला महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा महाविद्यालय परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान स्वयंसेविकाओं ने छात्राओं को स्वच्छता के महत्व से अवगत कराते हुए गीले-सूखे कचरे को अलग करने, प्लास्टिक का सीमित उपयोग करने और सफाई को दैनिक आदत बनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल सरकार या सफाईकर्मियों की नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।

महाविद्यालय की छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज निर्माण का संकल्प लिया। यह अभियान निदेशक डॉ. सुनील कुमार पाहवा, प्राचार्य डॉ. संगीता झांब, रजिस्ट्रार डॉ. सत्येंद्र कुररिया, एनएसएस प्रभारी डॉ. अल्पना सिंह एवं कार्यक्रम अधिकारी डॉ. सविता पहारिया के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।

सिहोरा जिला के संबंध में सीएम से बात करूंगा : शिवराज

सिहोरा, नवभारत। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सड़क मार्ग से कटनी जाते समय सिहोरा वासियों ने उन्हें रोक कर पूछा कि 16 नवंबर को सिहोरा जिला बनाने का जो वादा आपने किया था उसे वादे को अब कौन पूरा करेगा? जवाब में शिवराज सिंह चौहान अचानक सकते में आ गए फिर खुद को संभालते हुए कहा कि वह मुख्यमंत्री से इस संबंध में बात करेंगे। विदित हो कि विधानसभा चुनाव के पूर्व शुरू हुए सिहोरा जिला आंदोलन के दौरान विधानसभा में भाजपा का सिहोरा में जिला आंदोलन के कारण विपरीत माहौल निर्मित होता दिखाई दे रहा था। जिसके चलते तत्कालीन विधायक रही नंदनी मरावी की टिकट भी पार्टी द्वारा काट दी गई थी ।इस दौरान आंदोलनकारियों से 16 नवंबर 2023 को शिवराज सिंह चौहान ने फोन पर बात करके आश्वस्त किया था कि वह सरकार बनने के तुरंत बाद सिहोरा को जिला बनाएंगे ।सरकार बनी विधायक भी बना लेकिन शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री नहीं रहने पर वह मुद्दा ना तो स्थानीय पार्टी जनों द्वारा उठाए जा रहा है ना विधायक द्वारा और ना ही शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ।नाराज लक्ष्य जिला सिहोरा आंदोलन समिति के द्वारा इसी कारण से पूर्व में आंदोलन की शुरुआत की गई है ।

In The Court Of III Additional District and Session Judge, District Court, Jabalpur

Presiding Officer : इरशाद अहमद
(आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम सक्सेशन प्रकरण क्रमांक (MIC/0000931/2025)

रंजीत पटेल ———— आवेदक
Vs
लखन पटेल ———— अनावेदक

Process Id- /2025
पेशी दिनांक:- 08/12/2025

प्रेषिती
(1) आम जनता पता जिला जबलपुर म.प्र. ।
(2) आम जनता

आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक रंजीत पटेल पता ने मृतक गोपाल प्रसाद पटेल निवासी मुडिया उमरिया, चौबे मुडिया पनागर, जबलपुर(म.प्र.) राशि.................... की संपत्ति हेतु उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक संरक्षक नियुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये इस न्यायालय में आवेदन किया है जिसकी सुनवाई दिनांक 08 दिसम्बर 2025 को नियत है। यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रकरण में आवेदक को उक्त मृतक का उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक संरक्षक होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जारी किये जाने में कोई आपत्ति हो अथवा उक्त प्रकरण में वह अपना हक समझता हो तो पेशी दिनांक 08 दिसम्बर 2025 को न्यायालय में स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहें । सूचना उपरांत, यदि अनुपस्थित रहे तो प्रकरण की सुनवायी एक पक्षीय की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जायेगा। यह आज तारीख 08 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।

न्यायालय की मुद्रा

न्यायाधीश
इरशाद अहमद
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला न्यायालय जबलपुर(म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर मण्डला एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

ज्ञाप क्र./137/भू-अर्जन / 2025 — मण्डला, दिनांक 07 /11/2025

अधिसूचना

धारा-11

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूचि के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भू अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.न.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
मण्डला	निवास	कापा माल प.ह.न. 63	245.21 हेक्ट	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला	बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु ।
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandlaa.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है। (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) निवास या कार्यापालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2 मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
(सोमेश मिश्रा)
कलेक्टर मण्डला एवं पदेन उपसचिव
म. प्र. शासन राजस्व विभाग

जी-21371/25 — **बच्चों की मुस्कान है अनमोल, इसे सुरक्षित रखें हर हाल**

संचालनालय उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण

छठवीं मंजिल, विन्ध्यांचल भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल
Email : midhhorti@mp.gov.in

-: विज्ञप्ति प्रारूप :-

संचालनालय उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण अंतर्गत संचालित एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) योजना वर्ष 2025-26 अंतर्गत स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अनुसार फसलोत्तर प्रबंधन (PHM) के विभिन्न घटकों की स्थापना के पश्चात अनुदान सहायता दिये जाने का प्रावधान है। विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	नाम घटक	अधिकतम अनुमत लागत	अनुदान सहायता
1.	COLLECTION AGGREGATION CENTRE	Upto a maximum of Rs 320.0 lakh per beneficiary.	Credit linked back-ended assistance @35%
2.	Pre-cooling unit	Upto a maximum cost of Rs. 5.00 Lakh/MT.	
3.	Mobile pre- cooling unit	Rs. 30.00 lakh	
4.	Cold Rooms (Staging)	Upto a maximum cost of Rs. 52.00 lakh.	
5.	**Cold Storage** 1. Type-I Construction in civil including PUF/PIR panels	Rs. 9600/MT, (Max 5,000 MT capacity)	
	2. Type-I Construction in combination of civil & PEB including PUF/PIR panels	Rs. 12000/MT, (Max 5,000 MT capacity)	
	3. Type-I Construction in civil PUF/PIR panels - **Onion**	Rs. 9600/MT, (Max 5,000 MT capacity)	
6.	Refrigerated Transport vehicles	Rs. 31.00 lakh for upto max. capacity of 14 MT	
7.	Non-Pressurised Ripening Chamber CS-3	Rs. 1.00 lakh/MT.	
8.	Pressurised Ripening CS-3	Rs. 1.20 lakh/MT	
9.	Integrated Supply Chain Project	Upto a maximum cost of Rs. 2000 lakh per project	Assistance @40%
10.	Hybrid Seed Production Vegetablesand Spices (Private Sector)	Upto a maximum area (1 to 2 ha) cost of Rs. 63000/- per ha	Assistance @35%

उपरोक्त तालिका के सरल क्रमांक 1 से 9 में उल्लेखित घटक परियोजना आधारित है। हितग्राही / उद्यमी को बैंक से ऋण स्वीकृत होने पर ही ऋण संबंद्ध बैंक एंडेड सब्सिडी देय होगी, योजना का लाभ लेने हेतु NCCD गाइडलाईन एवं निम्न शर्तों के अधीन दिनांक 31/12/2025 तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते है:-

शर्तें:- इच्छुक कृषक/उद्यमियों को आवेदन के साथ (1) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) (2) बैंक एप्राइजल रिपोर्ट (3) बैंक ऋण स्वीकृत पत्र (4) भूमि संबधित दस्तावेज जहाँ इकाई स्थापित होना है (5) केन्द्र एवं राज्य सरकार से पूर्व में अनुदान सहायता प्राप्त न करने का राशि रुपये 100 के स्टाम्प पर घोषणा पत्र (6) उपरोक्त के अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज एवं रायपेनिंग चेम्बर के प्रकरणों में भवन निर्माण अनुज्ञा प्रमाण पत्र (7) NCCD की ड्राइंग डिजाईन अनुसार निर्माण कराने का राशि रूपये 100 के स्टाम्प पर घोषणा पत्र (8) भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मानको और मापदण्ड अनुसार निर्माण कराने का राशि रुपये 100 के स्टाम्प पर घोषणा पत्र (9) चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा बेसिक डाटाशीट / डिजाईन या तकनीकी डाटा इत्यादि दस्तावेज विभागीय पोर्टल www.mpfsts.mp.gov.in पर अपलोड करना अनिवार्य है। अपूर्ण एवं निर्धारित दस्तावेज अपलोड न करने वाले आवेदकों के आवेदन/प्रकरणों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। **(आयुक्त महो. द्वारा निर्देशित)**

सहायक संचालक उद्यान
म.प्र. राज्य उद्यानिकी मिशन संचालनालय, भोपाल

जी-21356/25 — **स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता**